भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 641

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

641. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न राज्यों हेतु अनुमानितखाद्यान्न उत्पादन जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018-19 के दौरानखाद्यान्न उत्पादन और वास्तविक उत्पादन कीवर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले वर्षों की तुलना मेंकिन मुख्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमानलगाया गया है;

(घ) वर्ष 2014-15 की तुलना में देश मेंखाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन और बढ़ती जनसंख्याऔर खाद्यान्न की मांग किस हद तक अनुरूप है; और

(ङ) सरकार द्वारा अत्यधिक उत्पादन वर्ष मेंकिसानों से अधिक खाद्यान्नों की खरीद के लिएउठाए गए कदम या उठाये जा रहे कदमों काब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): किसी कृषि वर्ष में (जुलाई-जून), मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान सामान्यत: सितंबर में जारी किए जाते हैं। इसलिए, 2019-20 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। तथापि, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 03.06.2019 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में खाद्यान्न उत्पादन 283.37 मिलियन टन अनुमानित है।

2015-2018 से 16-:वार उत्पादन इस प्रकार है-तक मुख्य फसलों का फसल 19

(मिलियन टन में)

फसल	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19***
चावल	104.41	109.70	112.76	115.63
गेहूँ	92.29	98.51	99.87	101.20
मक्का	22.57	25.90	28.75	27.82
तूर	2.56	4.87	4.29	3.50
चना	7.06	9.38	11.38	10.09
कुल खाद्यान्न	**251.54**	**275.11**	**285.01**	**283.37**

* तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

(घ): फसलों, पशुधन, मत्स्यन और कृषि आदान के लिए 2033 तक मांग और आपूर्ति अनुमान संबंधी नीति आयोग की कार्य समूहरिपोर्ट (फरवरी, 2018) के अनुसार, 2016-17 और 2020-21 के लिए खाद्यान्न की समेकित मांग क्रमश: 255.41 और 271.53 मिलियन टन आकलित की गई है। सरकार ने दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसका उत्पादन पहले घरेलू मांग से कम था। परिणामस्वरूप, 2017-18 के दौरान दलहन का अनुमानित उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 25.42 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

(ङ): लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय और नोडल एजेंसियों के माध्यम से उन फसलों की खरीद की जाती है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का संबंध है, उनकी खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से और विकेंद्रिकृत खरीद प्रणाली द्वारा की जाती है। सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से तिलहन, दलहन और कपास की घोषित एमएसपी पर खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्वयन करती है।

इसके अलावा,सरकार नाशवान प्रकृति के और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अधीन शामिल नहीं किए गए कुछ बागवानी फसलों और कुछ कृषि फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को उस समय मजबूरी में अपना उत्पाद कम मूल्य पर बेचने से बचाना है जबबंपर फसल की स्थिति में बृहत मात्रा में बाजार में उत्पाद के आने से उनका मूल्य आर्थिक स्तर तथा उत्पादन लागत से कम हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)' कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों/किसानों हेतु लाभकारी और स्थिर मूल्य परिदृश्य के आश्वासन के लिए एक समग्र व्यवस्था उपलब्ध कराता है। इस समग्र योजना में दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने हेतु तिलहन के लिए भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और प्रायोगिक निजी खरीद और भंडारकर्ता योजना (पीपीएसएस) शामिल है।

*****